

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 973
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थ केन्द्र

973. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़ :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या भारत में अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थ केंद्र की स्थापना करने के संबंध में कोई संधि हुई है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या केंद्र सरकार ने न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए कोई योजना प्रस्तावित की है ; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : जी हाँ ।

(ख) : एक मेजबान देश करार (एचसीए), भारत गणराज्य सरकार और स्थायी माध्यस्थम् न्यायालय(पीसीए) के मध्य भारत में स्थायी माध्यस्थम् न्यायालय (पीसीए) की प्रादेशिक प्रसुविधा स्थापित करने के लिए 19.9.2008 को हस्ताक्षरित किया था । एचसीए के अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत गणराज्य पीसीए के लिए अंतरराष्ट्रीय विवादों को माध्यस्थम, मध्यकता , सुलह के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान और अन्वेषण के लिए तथ्यान्वेषण आयोगों और सरकारों, अंतर- सरकारी संगठनों और अन्य अस्तित्वों को अन्य समुचित सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक मेजबान देश होगा । इसके अतिरिक्त, एचसीए के अनुच्छेद 4 के अनुसार, विदेश मंत्रालय (एमईए) को करार के कार्यान्वयन के संबंध में उदभूत होने वाले सभी मुद्दों पर सरकार की ओर से समन्वय करना होगा । एचसीए का अनुच्छेद 6 भी कथन करता है कि पीसीए जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 3 के अनुसरण में उपलब्ध कराया गया और उसके द्वारा प्रयोग किया गया कोई कार्यालय स्थान भी है, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उन्हीं विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियां का उपयोग करेगा जिन्हें संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियां संबंधी अभिसमय, 1946) के अनुच्छेद 2 के अनुसरण में भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रदान किया गया है ।

(ग) और (घ) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचनाओं के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों में निहित होती है । राज्य सरकारों के संसाधनों के संवर्धन के लिए संघ सरकार, जिला और

अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचनात्मक प्रसुविधा के विकास हेतु विहित किए गए निधि बंटवारा पेटर्न में राज्य सरकारों/ संघ सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करके एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। यह स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अधीन राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को आज तक केंद्रीय सरकार ने 8709.77 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह स्कीम समय-समय पर विस्तारित की गई है। इस स्कीम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासिक आवासों और न्यायालय भवनों के संनिर्माण के लिए निधियां जारी की हैं। सरकार ने 01.04.2021 से 31.03.2026 तक, 9000 करोड़ रुपए, जिसके अंतर्गत केंद्र का 5307 करोड़ रुपए का अंश भी है, के कुल बजटीय परिव्यय के साथ पांच वर्ष की और अवधि के लिए उपरोक्त स्कीम का विस्तार किया है। इस स्कीम के संघटकों का विस्तार शौचालयों, डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में वकीलों के हालों का सन्निर्माण को आविष्ट करने के लिए भी किया गया है। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31.10.2021 तक, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 20,565 न्यायालय हाल और 18,142 आवासिक इकाइयां उपलब्ध हैं। तथापि, 2841 न्यायालय हाल और 1807 आवासिक इकाइयां सन्निर्माणाधीन हैं।
